

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/182
मुकदमा नम्बर 62/2024

दर्ज दिनांक- 06.05.2024

राजेन्द्र कुमार मूण्ड पुत्र श्री पेमाराम जाति जाट निवासी जाखल, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू
-आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

-अनावेदक

वकील आवेदक :- श्री नरेन्द्र सिंह

वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 08.07.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की तन मे भूमि खाता सं. नया 699 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 904 रकबा 2.58 है०, खसरा नं. 906 रकबा 1.23 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 3.81 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र पेमाराम की जगह राजेन्द्र कुमार मूण्ड पुत्र श्री पेमाराम दर्ज किया जावे।


प्रकरण मे अनावेदक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./24/2191 दिनांक 24/06/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट से इतिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा, ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की तन मे भूमि खाता सं. नया 699 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 904 रकबा 2.58 है०, खसरा नं. 906 रकबा 1.23 है०, कुल किता 2 कुल रकबा 3.81 है० के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजेश कुमार पुत्र पेमाराम की जगह राजेन्द्र कुमार मूण्ड पुत्र श्री पेमाराम दर्ज व दुरुस्त किये जाने का आदेश किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ द्वार प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दपतर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुनू